रजिस्ट्री सं० डी० 222 REGISTERED No. D 222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 49] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 2, 1972/अग्रहायण 11, 1894
No. 49] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 2, 1972/AGRAHAYANA 11, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार में मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिसमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, by-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel)

New Delhi, the 15th November, 1972

CORRIGENDUM

G.S.R. 1492.—The following correction shall be made in the Notification mentioned below:—

No. 7/19/72-C.S.II, dated the 7.8.1972 regarding Amendment to the CSCS (Upper Division Grade Limited Departmental Competitive Examination) Regulations, 1966.

In sub-para (1) of para 1.—

For the words and brackets '(Second Amendment)' substitute the words and brackets '(Third Amendment)'.

[No. 7/19/72-C.S. II]
M. K. VASUDEVAN, Under Secy.

मंत्रिमण्डल सचिवालय

(कार्मिक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 नवम्बर, 1972

शुद्धि पत्र

स. का. नि. 1492.—निम्नलिखित अधिसूचना में नीचे दी गई शुद्धियां की जाएंगी।

के. स. लि. से. (उच्च ग्रेड सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 1966 में संशोधन से संबंधित, अधिसूचना सं. 7/19/72-के. स.-2, दिनांक 7-8-72।

पैरा 1 का उप-पैरा (1) में—

'(दूसरा संशोधन)', शब्दों तथा कोष्ठकों के स्थान पर '(तीसरा संशोधन)' शब्द और कोष्ठक प्रतिस्थापित करें।

[सं. 7/19/72-के. स. (2)]
एम. के. वासुदेवन, अवर सचिव।

12 G of I/72—1.

भर्ती की पद्धति/भर्ती प्रोन्नति द्वारा या स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हो तो उस की संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
10	11	12	13
100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधे भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति:—ऐसे संगणकों की प्रोन्नति से जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की हो।	वर्ग 3 विभागीय प्रोन्नति समिति।	लागू नहीं होता।
—यथोक्त—	प्रोन्नति:—ऐसे नकशानवीस जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष की सेवा की हो।	—यथोक्त—	—यथोक्त—
प्रतिनियुक्त द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधे भर्ती द्वारा।	भण्डारी और निम्न श्रेणी लिपिकों से प्रतिनियुक्ति द्वारा जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं हों। आवश्यक :—उस श्रेणी में कम से कम 8 वर्ष की सेवा का अनुभव। वांछनीय :—सरकारी कार्यालय में रखवाली के कार्य का अनुभव (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 2 वर्ष की होगी किन्तु लोक हित में उसे 1 वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा)।	लागू नहीं होता	—यथोक्त—

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 14th November, 1972

G.S.R. 1509.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class III Posts) Recruitment Rules, 1964, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Class III Posts) Recruitment Sixth Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the All India Radio (Class III Posts) Recruitment Rules, 1964,

(a) against Serial No. 45 relating to the post of "Farm Radio Reporter" and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

(b) against Serial No. 46 relating to the post of "Field Assistant" for the entry in column 9. the entry '40 years and below' shall be substituted.

SCHEDULE

1	2	3	4	5	6	7	8	9
"45	Farm Radio Reporter	General Central Service Class III (Non-Ministerial).	Rs. 235-15-340-20-480.	50% by direct recruitment.	—	50% by promotion failing which by a direct recruitment.	—	40 years and below.

10	11	12	13
Essential : (i) Degree in Agriculture. (ii) At least 2 years experience as an Agricultural Extension Officer or in an equivalent post; or Diploma in Agriculture or two years training as village Level Worker (Gram Sevak) with at least six years experience as Gram Sevak or Village Extension Officer or in an equivalent post. (iii) Fluency in the language(s) and dialect(s) of the State or union territory in which the Radio Station or Centre is situated. *Desirable :* Some experience of broadcasting techniques.	Two years	—	From amongst Field Assistants in All India Radio with 3 years' approved service in the grade;"

[No. 1/7/71-B(A)]

A. V. NARAYANAN, Under Sec.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 14 नवम्बर, 1972

सा० का० नि० 1509.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति आकाशवाणी (श्रेणी-3 पद) भर्ती नियमावली, 1969 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को आकाशवाणी (श्रेणी-3 पद) भर्ती (षष्ठम संशोधन) नियमावली, 1972 कहा जायेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (श्रेणी-3 पद) भर्ती नियमावली 1964 में —

(क) 'फार्म रेडियो रिपोर्टर' के पद से सबंधित क्रम संख्या 45 तथा इससे सबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7	8
"45	फार्म रेडियो रिपोर्टर	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी-3 (अलिपिक वर्गीय)	235-15-340-20-480 रुपए	50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	—	50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा, इसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	—

9	10	11	12	13
40 वर्ष तथा इससे कम	आवश्यक : (1) कृषि में डिग्री (2) कृषि विस्तार अधिकारी या समकक्ष पद पर न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव; या कृषि में डिप्लोमा या ग्राम सेवक, ग्राम विस्तार अधिकारी या समकक्ष पद पर न्युनतम 6 वर्ष के अनुभव सहित ग्राम स्तर कार्यकर्ता (ग्राम सेवक) के रूप में 2 वर्ष का प्रशिक्षण । (3) जिस राज्य या केन्द्र प्रशासित क्षेत्र में रेडियो स्टेशन या केन्द्र स्थापित हो, उसकी भाषा(ओं), बोली (बोलियों) में धारा प्रवाहिता । वांछनीय : प्रसारण तकनीक का कुछ अनुभव ।	दो वर्ष	—	आकाशवाणी के उन फील्ड एसिस्टेंटों में से जिनकी ग्रेड में तीन वर्ष की स्वीकृत सेवा हो ;"

(ख) 'फील्ड सहायक' के पद से संबंधित क्रमसंख्या 46 के सम्मुख कालम 9 के अन्तर्गत प्रविष्टि के स्थान पर 40 वर्ष तथा इससे कम प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी ।

[सं० 1/7/71-बी (ए)]
ए० वी० नारायणन, अवर सचिव

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

New Delhi, the 31st October, 1972

G.S.R. 1510.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Irrigation and Power Class II (Statistical Posts) Recruitment Rules, 1972, namely :—

1. **Short title and commencement :**

(1) These rules may be called the Ministry of Irrigation and power Class II (Statistical Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Amendment of rule 4 :**

In the Ministry of Irrigation and Power Class II (Statistical Posts) Recruitment Rules, 1972 (hereinafter referred to as the said rules) in rule 4, the second proviso shall be omitted.

3. **Insertion of new rule 7 :**

After rule 6 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely :—

"7. **Saving :** Nothing in these rules, shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time."

[File No. 3/8/67-Adm. II (Vol. II)]
G. K. DOGRA, Dy. Secy.

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख 31 अक्तूबर, 1972

अधिसूचना

सा०का०नि० 1510—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिंचाई और विद्युत मंत्रालय वर्ग 2 (सांख्यिकीय पद) भर्ती नियम, 1972 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :**

(1) इन नियमों का नाम सिंचाई और विद्युत मंत्रालय वर्ग 2 (सांख्यकीय पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1972 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 4 का संशोधन :**

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय वर्ग 2 (सांख्यकीय पद) भर्ती नियम, 1972 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में नियम 4 में, दूसरे परन्तुक का लोप कर दिया जाएगा।

3. **नए नियम 7 का अन्तः स्थापना :**

उक्त नियमों के नियम 6 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"7. **व्यावृत्ति** इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका, केन्द्रीय सरकार द्वारा उस संबंध में समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।"

[फाइल सं० 3/8/67-प्रशा० 2(जिल्द 2)]
जी० के० डोगरा, उप सचिव